6/11/20

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 78/2020

प्रार्थीगण

1. भीखाराम वल्द कानाराम
2. नानगाराम पुत्र डालूराम
3. टीकमाराम पुत्र डालूराम
4. लाधूराम पुत्र देदाराम
5. रेखाराम पुत्र देदाराम

   जाति जाट निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोटाराम पुत्र हरजीराम
2. फूसाराम पुत्र वरजांगाराम
3. अमराराम पुत्र वरजांगाराम
4. चिमनाराम पुत्र वरजांगाराम
5. पाबूराम पुत्र अमराराम
6. हुकमाराम पुत्र विशनाराम
7. रूगनाथराम पुत्र विशनाराम

   जाति जाट निवासी नई खडाली
8. धनाराम पुत्र खींयाराम
9. भागीरथराम पुत्र खीयाराम
10. किशनाराम पुत्र खीयाराम
11. हीरकनराम पुत्र देवाराम
12. प्रभुराम पुत्र देवाराम
13. श्रवणकुमार पुत्र मालाराम
14. देवाराम पुत्र मालाराम
15. सुनील कुमार पुत्र मालाराम
16. पाचूदेवी पत्नी मालाराम (विप्राथी संख्या 14 व 15 नाबालिग की वली माता प्रतिवादी संख्या 16)

    जाति जाट निवासी मोखावा खुर्द
17. ग्राम पंचायत मोखावा खुर्द जरिये सरपंच
18. राईगा वल्द लुम्बा
19. सरदारा पुत्र लुम्बा
20. मेहरा पुत्र लुम्बा
21. एजना बेवा लुम्बा जाति राईका निवासी मौखावा खुर्द
22. आसूराम गोदपुत्र भीमाराम
23. जेठाराम पुत्र हेमराज
24. उदाराम पुत्र लालाराम
25. गोरखाराम पुत्र लालाराम
26. तेजाराम पुत्र लालाराम
27. सुगणी पत्नी लालाराम जाति रबारी
28. खंगाराराम गोदपुत्र चिमनाराम
29. म्यासा पुत्र मोती जाति रबारी
30. बाबूलाल पुत्र पूनमाराम
31. हुकमाराम पुत्र पूनमाराम
32. सोनाराम पुत्र पूनमाराम जाति जाट
33. जालाराम गोदपुत्र हरा जाति जाट निवासी मोखावा खुर्द तहसील गुडामालानी
34. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:50:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :–11–01–2020

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत सरहद मौजा मौखावा खुर्द के खेत खसरा नम्बर 17, 18 रकबा क्रमशः 0–04, 173–19 बीघा कुल रकबा 174–03 बीघा का नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण की विद्वान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2075–2078 सरहद मौजा मौखावा खुर्द के खेत खसरा नम्बर 17, 18 रकबा क्रमशः 0–04, 173–19 बीघा कुल रकबा 174–03 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मौखावा खुर्द के खेत खसरा नम्बर 17, 18 रकबा क्रमशः 0–04, 173–19 बीघा कुल रकबा 174–03 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/-- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली तैयार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:50:18 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 11-1-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी